

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक: 26/10/2020

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जयपुर जिले की नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं जयपुर ग्रेटर, जोधपुर जिले की नगर निगम जोधपुर उत्तर एवं जोधपुर दक्षिण तथा कोटा जिले की नगर निगम कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण के आम चुनाव दो चरणों में कराये जाने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है (कार्यक्रम की प्रति संलग्न है)। अतः प्रथम चरण के लिए नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जोधपुर उत्तर एवं कोटा उत्तर नगर निगम क्षेत्रों में मतदान तिथि दिनांक 29.10.2020 को एवं द्वितीय चरण के लिए नगर निगम जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण एवं कोटा दक्षिण नगर निगम क्षेत्रों में मतदान तिथि दिनांक 01.11.2020 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी), जयपुर, जोधपुर एवं कोटा को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ. 4(1)(1)नपा/रानिआ/2020/8543

दिनांक: 26/10/2020

प्रतिलिपि: जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (नगरपालिका) जयपुर, जोधपुर एवं कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव